

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत-उपखण्ड अधिकारी जंहाजपुर जिला शाहपुरा

लादू पिता गंगाराम धाकड निवासी जामोली

बनाम

बजरंग पिता देबीशंकर शर्मा निवासी जामोली

किस्म मुकदमा प्रा. पत्र 111,128 एल.आर.ए

मुकदमा नंबर 398/2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तामील में जारी हुये
13/05/2024	<p>प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि में ग्राम जामोली प.ह. जामोली मे आराजी सं. 1474/210 रकबा 0.3780 है, आराजी सं. 1481/210 रकबा 0.8640 है। भूमि स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडोसी है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाने जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावें। प्रार्थना पत्र की तार्ईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबंदी संवत 2073 से 2076 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढी किया जाना उचित समझता है। ग्राम जामोली प.ह. जामोली की आराजी सं. 1474/210 रकबा 0.3780 है, आराजी सं. 1481/210 रकबा 0.8640 है। भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिती में पत्थरगढी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक पण्डेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर फीस 500 रूपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मोके पर अदा करेगा, उनमे से 100रु राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। पालना हेतु तहसीदार जहाजपुर को लिखा जावें। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस /समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थित में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते हैं। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें।</p> <p>आदेश आज दिनांक 13/05/2024 को खुलं न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा</p>	

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

क्रमांक/रीडर/2024/398/2024

दिनांक -13/05/2024

निमित्त-

तहसीलदार जहाजपुर

विषय:- प्र.स. 398/2024 अनवान लादू पिता गंगाराम धाकड निवासी जामोली बनाम बजरंग पिता देबीशंकर शर्मा , उगमा पिता रामकिशन कीर , देबीलाल पिता रामकिशन कीर , गोपाल पिता रामकिशन कीर , दुर्गालाल पिता रामा कीर , छोटू पिता ज्वारा कीर , रामेश्वर पिता श्रवण कीर , हरलाल पिता लादू कीर , गोपाल पिता रतन गुर्जर , सोजी पिता रतना गुर्जर , लेखराज पिता रतना गुर्जर , देबीलाल पिता फोजमल जैन , दुर्गालाल पिता धन्ना कीर निवासी जामोली तहसील जहाजपुर वगैरह की पत्थरगढी की पालना बाबत।

उपरोक्त विषयांकित अनवान के प्रकरण में ग्राम जामोली प.ह. जामोली की आराजी सं. 1474/210 रकबा 0.3780 है. आराजी सं. 1481/210 रकबा 0.8640 है. भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक पण्डेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस 500 रुपये तय किए जाते है जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रुपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस/समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते है। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला शाहपुरा